SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

साधना नायक, निदेशक प्रशासन,
आकांक्षा लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, अवंती विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

साधना नायक, निदेशक प्रशासन,
आकांक्षा लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, अवंती विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 28/04/2022
Revised on : -----
Accepted on : 05/05/2022
Plagiarism : 08% on 28/04/2022

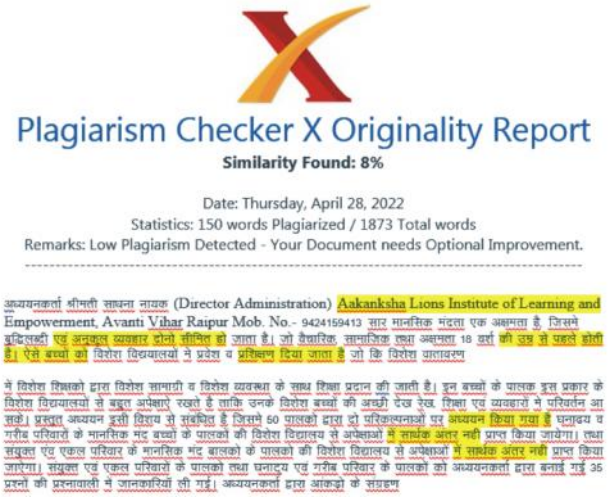
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 8%

Date: Thursday, April 28, 2022
Statistics: 150 words Plagiarized / 1873 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

अध्ययनकर्ता श्रीमती साधना नायक (Director Administration) Aakanksha Lions Institute of Learning and Empowerment, Avanti Vihar Raipur Mob. No.- 9424159413 सार मानसिक मंदता एक अक्षमता है, जिसमे बुद्धिलब्दी एवं अनुकूल व्यवहार दोनो सीमित हो जाता है। जो वैचारिक, सामाजिक तथा अक्षमता 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालयों मे प्रवेश व प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि विशेष वातावरण

में विशेष शिक्षको द्वारा विशेष सामाग्री व विशेष व्यवस्था के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बच्चों के पालक इस प्रकार के विशेष विद्यालयों से बहुत अपेक्षाऐं रखते है ताकि उनके विशेष बच्चों की अच्छी देख रेख, शिक्षा एवं व्यवहारों मे परिवर्तन आ सके। प्रस्तुत अध्ययन इसी विषय से संबंधित है जिसमे 50 पालको द्वारा दो परिकल्पनाओं पर अध्ययन किया गया है। घनाढ्य व गरीब परिवारों के मानसिक मंद बच्चों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नही प्राप्त किया जायेगा। तथा संयुक्त एवं एकल परिवार के मानसिक मंद बालको के पालको की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नही प्राप्त किया जाऐगा। संयुक्त एवं एकल परिवारों के पालको तथा घनाढ्य एवं गरीब परिवार के पालकों को अध्ययनकर्ता द्वारा बनाई गई 35 प्रश्नों की प्रश्नावाली में जानकारियाँ ली गई। अध्ययनकर्ता द्वारा आंकड़ो के संग्रहण

शोध सार

मानसिक मंदता एक अक्षमता है, जिसमे बुद्धिलब्दी एवं अनुकूल व्यवहार दोनो सीमित हो जाता है। जो वैचारिक, सामाजिक तथा अक्षमता 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालयों मे प्रवेश व प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि विशेष वातावरण में विशेष शिक्षको द्वारा विशेष सामाग्री व विशेष व्यवस्था के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बच्चों के पालक इस प्रकार के विशेष विद्यालयों से बहुत अपेक्षाऐ रखते है ताकि उनके विशेष बच्चों की अच्छी देख रेख, शिक्षा एवं व्यवहारों मे परिवर्तन आ सके। प्रस्तुत अध्ययन इसी विषय से संबंधित है, जिसमे 50 पालको द्वारा दो परिकल्पनाओं पर अध्ययन किया गया है। घनाढ्य व गरीब परिवारों के मानसिक मंद बच्चों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नही प्राप्त किया जायेगा तथा संयुक्त एवं एकल परिवार के मानसिक मंद बालको के पालको की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नही प्राप्त किया जाऐगा। संयुक्त एवं एकल परिवारों के पालको तथा घनाढ्य एवं गरीब परिवार के पालकों को अध्ययनकर्ता द्वारा बनाई गई 35 प्रश्नों की प्रश्नावाली में जानकारियाँ ली गई। अध्ययनकर्ता द्वारा आंकड़ो के संग्रहण व्यवस्थापन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष प्राप्त किया गया कि घनाढय एवं गरीब परिवार के मानसिक मंद बालको के पालको की विशेष विद्यालयों से अपेक्षाओ में सार्थक अन्तर प्राप्त नही किया गया लेकिन संयुक्त व एकल परिवारों के पालकों की विशेष विद्यालयों से अपेक्षाओं में सार्थक अन्तर पाया गया। घनाढ्य एवं गरीब पालकों की विशेष विद्यालयों से यह अपेक्षाऐं रहती है कि बालक को विकास के लिए उन्नत तकनीकें प्रदान की जाए जिससे उसका विकास अच्छी तरह हो सकें। संयुक्त परिवार में

बालक का ध्यान परिवार के अन्य सदस्य भी रख सकतें है। विशेष विद्यालय से परामर्श लेकर अपने बालक को सुविधाऐं प्रदान कर सकते है। एकल परिवार में माता–पिता बालक को अधिक समय नही दे पाते क्योकि घर के कार्य करने पड़ने, अतः उन्हे विशेष विद्यालयों से बहुत अपेक्षाऐ रहती है। इन्ही सभी कारणों से संयुक्त व एकल परिवार के पालकों में विशेष विद्यालय से सार्थक अंतर पाया गया।

मुख्य शब्द

मानसिक मंद बालक–बालिका, घनाढय पालक, गरीब पालक, विशेष विद्यालय.

भूमिका

मानसिक मंदता एक जटिल मानसिक व्याधि है, जो हमारे समाज में आदिकाल से रही है, परन्तु इसके विषय में अधिक जानकारी न होने के कारण समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ पाई जाती है। उन्हें परिवार व समाज पर बोझ समझा जाता है। इसे एक मानसिक रोग की संज्ञा दी जाती रही है। मानसिक मंदता एक अक्षमता है, जिसमे बुद्धिलब्दी एवं अनुकूल व्यवहार दोनो सीमित हो जाता है जो वैचारिक, सामाजिक तथा अक्षमता 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालयों मे प्रवेश व प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि विशेष वातावरण में विशेष शिक्षको द्वारा, विशेष सामाग्री व विशेष व्यवस्था के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बच्चों के पालक इस प्रकार के विशेष विद्यालयों से बहुत अपेक्षाऐ रखते है ताकि उनके विशेष बच्चों की अच्छी देख–रेख, शिक्षा एवं व्यवहारों मे परिवर्तन आ सके।

अध्ययन के उद्देश्य

- धनाढ्य एवं गरीब परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेश विद्यालय से अपेक्षाओं को ज्ञात करना।
- संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं के बारे में अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध की परिकल्पना निम्न हैः

1. धनाढ्य एवं गरीब परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नहीं हैं।
2. संयुक्त एवं एकल परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेश विद्यालय से अपेक्षाओं में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

अध्ययन विधि एवं उसके चयन के आधार

सर्वेक्षण विधि

सर्वेक्षण विधि के प्रकार

विधियों के उपयोग के आधार पर सर्वेक्षण के कई प्रकार होते हैः

1. **व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षणः** व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली द्वारा अध्ययन।
2. **डाक प्रश्नावली सर्वेक्षणः** प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर अध्ययन।
3. **विद्यालयी सर्वेक्षणः** शाला भवन की स्थिति, रचना, कक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व वित्तीय समस्याएँ शिक्षक व कर्मचारी वर्ग कुशलता तथा विद्यार्थियों की अभिरूचि, उपलब्धि एवं सामान्य अनुशासन का अध्ययन।

प्रस्तुत शोध की समस्या ''मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' है।

न्यादर्श हेतु चयनित पालकों के वर्ग

क्रमांक	चयनित पालक	आय	संख्या
1.	धनाढ्य पालक	8–10 लाख प्रति वर्ष	25
2.	गरीब पालक	50 हजार प्रति वर्ष	25
3.	संयुक्त परिवार पालक	माता–पिता, विवाहित सदस्य	25
4.	एकल परिवार पालक	माता–पिता, अविवाहित सदस्य	25

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों के संग्रहण, व्यवस्थापन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए:

धनाढ्य एवं गरीब परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं की गणना

परिवार का प्रकार	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	ज–मूल्य	स्वतंत्रता अंश	परिणाम
धनाढ्य	25	30.84	1.97	1.85	48	0.05 स्तर पर असार्थक
गरीब	25	34.08	0.799			

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

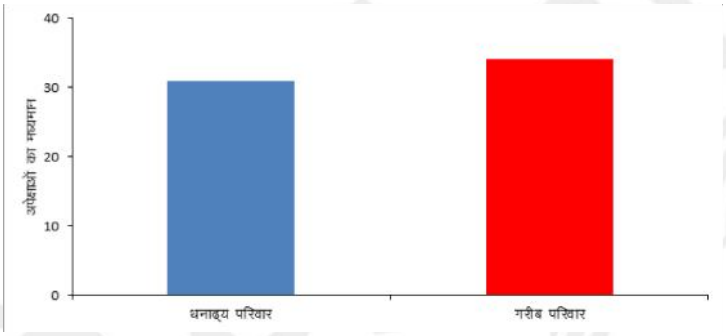

व्याख्या

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि धनाढ्य परिवार के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं का मध्यमान 30.84 एवं प्रमाणिक विचलन 1.97 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गरीब परिवार के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं का मध्यमान 34.08 एवं प्रमाणित विचलन 0.799 प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता अंक 48 पर टी–मूल्य 1.85 प्राप्त हुआ, जो कि टी–टेबल के अनुसार 0.05 स्तर पर असार्थक है अर्थात् शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि धनाढ्य एवं गरीब परिवार के पालकों की विशेष विद्यालय से समान अपेक्षाएँ रहती है व उनमें कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनके बालकों की देखभाल उचित प्रकार से की जाए तथा उनको शिक्षण, प्रशिक्षण देकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने योग्य बना सके।

संयुक्त एवं एकल परिवार के मानसिक मंद बालकों के पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं की गणना

परिवार का प्रकार	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	ज–मूल्य	स्वतंत्रता अंश	परिणाम
संयुक्त	25	30.04	1.28	15.03	48	0.01 स्तर पर सार्थक
एकल	25	34.28	0.586			

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

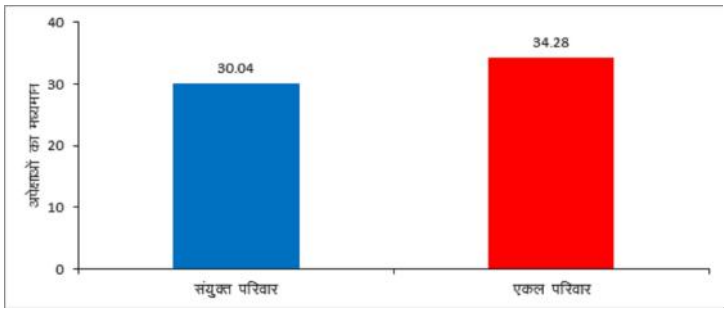

व्याख्या

संयुक्त एवं एकल परिवार पालकों की विशेष विद्यालय से अपेक्षाओं की गणना में संयुक्त परिवार के पालकों की अपेक्षाओं में मध्यमान 30.04 तथा प्रमाणिक विचलन 1.28 प्राप्त हुआ। एकल परिवार के पालको की अपेक्षाओं में मध्यमान 34.28 एवं प्रमाणिक विचलन 0.586 प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता अंश 48 पर टी मूल्य 15.03 प्राप्त हुआ, जो कि टेबल के अनुसार 0.01 स्तर पर सार्थक है। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि संयुक्त एवं एकल परिवार के पालकों की अपेक्षाओं में सार्थक अंतर पाया जाता है।

इसका कारण यह हो सकता है कि एकल परिवार के पालकों की अपेक्षाएँ विशेष विद्यालय से बहुत अधिक है, क्योंकि एकल परिवार में मंदबुद्धि बालक की देखरेख करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता, जबकि संयुक्त परिवार में यह कठिनाई नहीं रहती है।

शोध के आधार पर प्रस्तुत सुझाव

- मानसिक मंद बालक तथा उनके परिवारों के लिए पालकों की भूमिका बहुत महत्व रहता है, जिसके द्वारा वे कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। हर बालक दुनिया में अलग होता है, उसी प्रकार हर परिवार अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के अनुरूप अलग होता है। पालक तथा परिवार के अन्य सदस्य मानसिक मंद बालक के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। उनके सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
- विशेष विद्यालय के शिक्षक द्वारा मानसिक मंद बालकों के पालकों को नियमित परामर्श देकर उनका मनोबल ऊँचा किया जाना चाहिए, ताकि मानसिक मंद बालक के प्रति उनके नजरिए में सकारात्मक बदलाव आए और बच्चे के विकास के मापदण्ड बनाए जा सके। यह कार्य एक विशेष विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से संभव है।
- विशेष शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि परामर्श के पूर्व पालकों की सभी समस्याओं को बिना किसी रूकावट या व्यवधान के सुनना चाहिए। सभी बिंदुओं को बिंदुवार समझकर परामर्श देना चाहिए।
- इस पूरी चर्चा में विशेष शिक्षकों की ओर से भावनात्मक प्रभाव होना अतिआवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी प्रकार का झूठा या अनावश्यक आश्वासन न दी जाए।
- विशेष विद्यालय के शिक्षक और पालकों की नियमित मीटिंग होनी चाहिए, जिससे पालकों को जानकारी मिलती रहे कि उनके बालक में क्या प्रगति हुई या उसे घर में किस तरह प्रशिक्षण दिया जाए।

भारत में अधिकांश मानसिक मंद बालक घर में ही रहते हैं, क्योंकि वे सामान्य विद्यालयों में नहीं जा पाते तथा उनके लिए विशेष विद्यालयों की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इन बालकों के प्रति अभिभावकों

का व्यवहार सकारात्मक हो, ताकि माँ–बाप इन्हें बोझ न समझे।

पालको हेतु सुझाव

पालको हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं:

1. मानसिक मंदता के बारे में जानकारी होते ही अभिभावक को शीघ्र ही बालक का चिकित्सकीय परीक्षण करवाना चाहिए एवं पता लगाना चाहिए कि मानसिक मंदता का स्तर क्या है, ताकि शीघ्रातिशीघ्र बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके।
2. बालक को समय–समय पर मनोवैज्ञानिक केन्द्रों एवं निर्देशन परामर्श केन्द्र की सहायता एवं सुझाव प्रदान किये जा सकते हैं।
3. मानसिक मंदता के बारे में जानने और समझने का प्रयास करें, जिससे अपने बालक की उचित देखभाल व शिक्षण प्रशिक्षण कर सकें।
4. .पालकों को मानसिक मंद बालक को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखते हुए उसके शिक्षण–प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था एक सामान्य बच्चे की तरह करना चाहिए।
5. उसे परिवार का अभिन्न अंग मानते हुए दैनिक कार्यों में उसकी क्षमतानुसार उसे उत्तरदायित्व सौंपे एवं अधिक से अधिक स्वकार्य हेतु प्रेरित करें एवं प्रोत्साहित करते रहें।
6. पालकों को घर के प्रत्येक सदस्य को बालक के साथ संयत, धैर्य एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने हेतु प्रोत्साहित करें।
7. बालक की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी विशेष विद्यालय में जाकर समय–समय पर लेते रहे।
8. बालक की किसी भी प्रकार की योग्यता एवं क्षमता को पहचानकर उस दिशा में उसकी सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए।

प्रस्तुत लघुशोध कार्य शोधकर्ताओं द्वारा सीमित समय में छोटे न्यादर्श पर किया गया है। यह अध्ययन बड़े न्यादर्श पर कर परिणामों की जाँच की जा सकती है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसे तथ्य उजागर हुए है, जिन पर भविष्य में अध्ययन किया जा सकता है। समस्या के रूप में इन्हें निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है:

1. सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विशेष विद्यालयों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन।
2. शिक्षकों की अभिवृत्ति का मानसिक मंद बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

संदर्भ सूची

1. अस्थाना विपिन, *प्रारंभिक सांख्यिकीय विधियाँ,* आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
2. बाजपेयी एल.बी., *विशिष्ट बालक,* गया प्रकाशन, गया।
3. खापर्डे एम., (1987), Mental Retardation and its causes. *Journal of Education review*, page no. 20-23
4. कपिल एच.के., *अनुसंधान विधियाँ,* विनोद प्रकाशन, आगरा।
5. कार्नर डेविड, सेठी (2005), A study of self concept of mentally Retarded Children, *Journal of Education*, Page no. 25-34
6. जोसेफ आर.ए., *विशेष शिक्षा व पुर्नवास,* समाकलन पब्लिशर्स, वाराणसी।
7. दास, गुप्ता, (1968), Effect of Environment factor on Mental Etardation, *Journal of Indian Education*, page.no. 42-44
8. पाठक पी.डी., *शिक्षा मनोविज्ञान,* आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।

****